

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-06/अ0-03-14/2017 1046

पटना, दिनांक- 03/03/25

श्री विवेक कुमार, तत्कालीन राज्य-कर सहायक आयुक्त (53-55वीं बैच), दरभंगा अंचल, दरभंगा सम्प्रति राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-13.09.2022 से 31.01.2023 तक कुल 141 (एक सौ एकतालीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित श्री कुमार के पक्ष में देय उपार्जित अवकाश आदेयता में से उक्त अवकाश को घटाने के उपरान्त (273-141=132) (एक सौ बत्तीस) दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापक:-06/अ0-03-14/2017 1046

पटना, दिनांक- 3/3/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, समाहरणालय कोषागार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), दरभंगा अंचल, दरभंगा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्र0), अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना/ राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री विवेक कुमार, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, केन्द्रीय प्रमण्डल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।